FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........कोटा........

........निर्मल कुमार........बनाम........सरकार........

दमा........L-R-136........नं. ....70........सन्........2025........

पेशी हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/12/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी ग्राम नयानोहरा पटवार हल्का नयानोहरा में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 81 के खसरा नं0 103 की रकबा 0.6700 है0, खसरा नं0 104 रकबा 0.6900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3600 है0 आराजी स्थित चली आ रही है। उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 7/36 दर्ज है। इसके पश्चात प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अतुल कुमार तथा अरविन्द कुमार को क्रय लिया। उक्त दोनो विक्रेताओं की संयुक्त आराजी में 1/12–1/12 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था जिसमे प्रार्थी द्वारा दोनो सहखातेदारों की आधी आधी भूमि खरीद करने के पश्चात 1/12 हिस्सा प्रार्थी के हिस्से में आया तथा प्रार्थी का पूर्व का हिस्सा 7/36 तथा खरीद किया गया हुआ हिस्सा 1/12 मिलाकर कुल 5/18 हिस्सा प्रार्थी का बनता है। प्रार्थी का नामं निर्मल कुमार पुत्र खेमचंद है तथा जमाबंदी में निर्मल कुमार पुत्र खेमचांद अंकित कर दिया है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि आराजी ग्राम नयानोहरा पटवार हल्का नयानोहरा, भू० अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज० में स्थित है, जिसके खाता संख्या नया 81 व पुराना 74 है, के खसरा नम्बर 103 की रकबा 0.6700 है0, खसरा नम्बर 104 की रकबा 0.6900 है., कुल किता 2 की कुल रकबा 1.3600 हैक्टयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाकर गलत नाम निर्मल कुमार पुत्र खेमचांद के स्थान पर दुरूस्त करते हुऐ प्रार्थी का सही नाम निर्मल कुमार पुत्र खेमचन्द राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे तथा खरीद की गयी आराजी तथा पूर्व की प्रार्थी की आराजी को सम्मिलित करते हुऐ कुल रकबा 5/18 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि वादी के पिता खेमचंद और खेमचांद एक ही व्यक्ति है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड एवं विक्रय पत्र की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी निर्मल कुमार के पिता का नाम खेमचंद है परंतु त्रुटिवश नाम खेमचांद दर्ज हो गया है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नयानोहरा पटवार हल्का नयानोहरा में स्थित खाता संख्या नया 81 के खसरा नं0 103 की रकबा 0.6700 है0, खसरा नं0 104 रकबा 0.6900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3600 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में निर्मल कुमार पुत्र खेमचांद के स्थान पर निर्मल कुमार पुत्र खेमचंद दर्ज कर प्रार्थी की दोहरी प्रविष्टि को एक किया जावे। उक्त निर्णय आज दिनांक 29/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा